

आई.सी.ए.आर.— केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान,
अमरावती रोड, नागपुर — 440033
नीलामी सूचना संख्या 05/2024 / 762


केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर मे स्थित नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा ब्लाक नं. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 28, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 300, 304, 305, 117, 118, 121 ए, 25 एवं 26 इत्यादि में स्थित पौधों पर लगे नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 14.10.2024 को दोपहर 03.00 बजे की जायेगी, इस संबंध में इच्छुक ठेकेदार नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा की खरीददारी हेतु कार्यालय समय में 10 बजे से 5 बजे तक नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों का निरीक्षण कर कीमत को दिनांक 14.10.2024 को पूर्ण रूप से भरकर रु. 20,000/- (बीस हजार) की नकद सुरक्षा निधी के साथ (ई.एम.डी.) अथवा डी.डी. [ICAR Unit CCRI Nagpur के नाम] लिफाफे में आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. ऑफिस में जमा करना होगा। जिसे अपराह्न 03.30 बजे ठेकेदारों के सामने खोला जायेगा।

नीलामी निम्नलिखित नियमों व शर्तों के आधार पर होगी।

कोटेशन भरने वाले ठेकेदार को रु. 20,000/- (रु. बीस हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि का डी.डी. आई.सी.ए.आर. यूनीट सी.सी.आर आई. नागपुर [ICAR Unit CCRI, Nagpur] के नाम बना कर जमा करना होगा जो कि निदेशक, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. द्वारा सर्वाधिक बोली स्वीकार करने पर सफल ठेकेदार को छोड़कर अन्य लोगों को वापस कर दी जायेगी।

- सफल बोली स्वीकार्य व्यक्ति को नीलामी राशि की पुरी रकम जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसकी ईएमडी भी जप्त कर ली जायेगी।
- पूरी राशि जमा करने पर ही उसे नीलाम किये गये नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों को तोड़ने की अनुमती दी जायेंगी।
- नीलाम किये गये नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों को ठेकेदार को 15/12/2024 तक अपने श्रमिकों से तोड़ना होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित समय में नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा के फलों को आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. से ले जाने में असमर्थ रहता है और निदेशक महोदय उसे अनुमति नहीं देते तो वह नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों को नहीं ले जा सकेंगा और इसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
- मूल्य निर्धारण कीमत कोटेशन खोलने के पश्चात घोषित की जायेगी।
- नीलामी किये गये नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा के फलों को आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. से बाहर ले जाने हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारी की सहायता से गेट पास जारी की जायेगी।
- ठेकेदार नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा के फलों को चोरी से बचाने के उपाय स्वयं करेगा। कार्यालय इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।

- फार्म पर बिकी काउंटर नहीं खोलने दिया जायेगा।
- नागपुरी संतरा और किन्नों संतरों के पेड़ पर अनुसंधान हेतु 5 फल हर पेड़ पर छोड़ना होगा।
- नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा के ब्लाकों में से फल तोड़ने से पहले जान ले की अनुसंधान हेतु लिये जाने वाले फल तोड़े गये हैं या नहीं।
- शनिवार, रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा और न ही उन्हे बाहर ले जाने की अनुमती दी जायेगी और न ही किसी व्यक्ति या वाहन को अंदर आने की अनुमती दी जायेंगी।
- संस्थान के निदेशक महोदय को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- नीलामी के समय परिस्थिती को ध्यान में रखकर निदेशक महोदय को शर्तों में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार होगा।
- खराब तथा नीचे गिरे हुये नागपुरी संतरा और किन्नों संतरा फलों को ठेकेदार को हटाना होगा।
- प्रति फल (रु. 2/-) कि दर से 10,000 फल स्टॉफ के लिए खरीदे जाएंगे।
- ब्लाक नं.44 से 400 फल अनुसंधान हेतु लिए जाएंगे।
- ठेकेदार को बयाना (ई.एम.डी.) राशि वापस लेने के लिए फार्म प्रभारी/सहा. फार्म प्रभारी से ना हरकत प्रमाणपत्र लेकर कार्यालय में जमा करना होगा।


 प्रशासनिक अधिकारी
 आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर

प्रतिलिपि:

1. डॉ. नरेश मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, फार्म प्रभारी एवं सतर्कता अधिकारी, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
2. डॉ. दर्शन कदम, वैज्ञानिक एवं सहायक फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
3. श्री. वी.पी. भालाधरे, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई. नागपुर।
4. डॉ. सुनील कुमार यु.टी., मुख्य तकनीकी अधिकारी तथा इस्टेट ऑफिसर, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
5. वित्त एवं लेखा अधिकारी, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
6. कॅश अॅण्ड बिल सेक्शन, आई.सी.ए.आर.—सी.सी.आर.आई., नागपुर।
7. नैशनल प्रोटोकटीव सिक्यूरिटी सर्विसेस, 102 दिपीका अरीहन्त कोहीनूर अपार्टमेंट, त्रिमुर्ति नगर, नागपुर 440022।
8. श्री डी. डी. बैनर्जी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, उपरोक्त नीलामी सुचना संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।